रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II– Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 1985/चैत्र 26, 1907
No. 191] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 1985/CHAITRA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 अप्रैल 1985

सं 131/85-सीमा-शुल्क

का आ 334 (अ)—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं 76-सीमाशुल्क तारीख 19 मई 1973 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, "प्रयोजन" शीर्षक के नीचे मलापे पत्तन से संबंधित मद 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) लोहा और मैंगनीज अयस्क, मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की लदाई के लिए ।

(2) तोड़ने के लिए पोतों का आयात और ऐसे पोतों से आयातित कर्मी-दल यात्री सामान का उतारना ।"

[फा. सं. 574/3/84-एल-सी-2]

टी. एच. के. गौरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1985

No. 131/85-CUSTOMS

S.O. 334(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 76-Customs, dated the 19th May, 1973, namely :—

In the said notification, against item 5 relating to the Port of Malpe, under the heading "purpose", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"(i) For loading of iron and manganese ore, fish and fish products.

(ii) Import of ships for breaking and unloading of imported Crew baggage of such ships."

[F. No. 574/3/84-L.C.II]

T. H. K. GHAURI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985